

आदेश की
ति

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

15.12.2023

वाद सं०-54 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री विगु भगत एवं अन्य, ग्राम-तुतटोली, पंचायत-तिरला, जिला-खूँटी, अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, खूँटी आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

आयोग ने इस वाद में पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता को डाक के माध्यम से आदेश कि प्रति भेज दी जाय, ताकि शिकायतकर्ता अपना पक्ष रख पाये क्योंकि दूरभाष पर शिकायतकर्ता से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। आयोग से शिकायतकर्ता को डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया है। लेकिन डाक वापस नहीं आया है ऐसे में आयोग ये मान रहा है कि उस नाम का व्यक्ति संबंधित पते पर है। अतः डाक वापस नहीं आया है। न्याय के हित में आयोग अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक और अवसर दे रहा है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।